



2026:AHC-LKO:1772-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 82 सन 2026

मेसर्स जय माँ भगवती ब्रिक फील्ड बहराईच द्वारा प्रोपराइटर अजीत प्रताप सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अजय सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अशोक कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह को तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा को सुना।
- इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य राहतों की मांग की है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"[I] उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.10.2024 को जारी/पारित किए गए आक्षेपित पत्र/आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाए, जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में निहित है।

[II] परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के पक्ष में तत्काल प्रभाव से सहमति आदेश जारी करने का आदेश देने हेतु न्याय के हित में जारी किया जाए।"

3. 8 जनवरी, 2026 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"इस मामले को कल यानी 09.01.2026 को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. वर्मा को यह निर्देश प्राप्त करने का अवसर मिल सके कि क्या याचिकाकर्ता को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) के द्वितीय परंतुक और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के संबंधित प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (यदि कोई हो) के तहत परिकल्पित सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था, क्योंकि यदि ऐसा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **व्हेलपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य; 1998 (8) एससीसी 1:एआईआर 1999 एससी 22** के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर वैधानिक उपाय की उपलब्धता बहुत प्रासंगिक नहीं होगी।"

4. आज श्री ए.के. वर्मा ने लिखित निर्देशों और मामले से संबंधित अभिलेखों के आधार पर न्यायालय को पूरी निष्पक्षता से सूचित किया कि मौके पर निरीक्षण के बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

5. उपरोक्त कथन के मद्देनजर, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (4) के द्वितीय परंतुक और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के संबंधित प्रावधानों (नियमों सहित) में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। अतः, अपील का वैधानिक उपाय न केवल निरर्थक है,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बल्कि उक्त आदेश को भी रद्द किया जाना चाहिए, केवल उपरोक्त आधार पर। तदनुसार, इसे रद्द किया जाता है।

6. अब सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता को पहले दी गई संचालन सहमति के नवीनीकरण पर विधि के अनुसार पुनर्विचार करे और यथाशीघ्र उचित निर्णय ले।

7. याचिका को उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाती है।

जनवरी 9, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।